(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
ICR Division

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 06th November, 2025

NOTIFICATION

No. 10-11/2025-U.3(A) – Whereas, an online application was submitted by Sri Siddhartha Academy of Higher Education (Deemed to be University), Tumkur, Karnataka seeking ex-post facto approval for its off-campus centre at T-Begur, Nelamangala Taluk, Bangalore Rural District, Karnataka as per regulation 8 (7) of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter No. 26-6/2024 (CPP-I/DU) dated 29.05.2025, informed that the proposal of the deemed to be University was examined by its Expert Committee as per regulation 8 (7) of the UGC Regulations, 2023 which provides that the Commission, on the basis of the advice of the Expert Committee, shall render its advice to the Government to consider the approval of any such off-campus which was operating before the commencement of these regulations on a case-to-case basis, and to validate the degrees of each programme for the passed-out students, if they fulfil the basic eligibility conditions required for starting the off-campus centre.

3. **And further whereas**, the UGC Expert Committee, after overall assessment of the proposal, recommended that ex-post facto approval may be granted to the Sri Siddhartha Academy of Higher Education (deemed to be University), Tumkur, Karnataka for running the off campus at T-Begur, Nelamangala Taluk, Bangalore rural District, if it rectifies the deficiencies pointed out by the Expert Committee. The recommendations of the Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 592nd meeting (Item No. 2.15) held on 23.07.2025.

4. **And whereas,** Ministry, vide its letter 10-11/2025-U.3(A) dated 23.09.2025, requested the Institution to submit certain documents for rectification of the deficiencies pointed out by the Expert Committee. The Institution submitted the requisite documents, vide letter dated 23.09.2025.

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords ex-post facto approval to Sri Siddhartha Academy of Higher Education (deemed to be University), Tumkur, Karnataka for starting off-campus at T-Begur, Nelamangala Taluk, Bangalore Rural District, Karnataka, duly validating the degrees of admitted/passed students from

पृ.त.उ.

Academic Year 2019-20, which have been started with approval of the respective statutory councils.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Sri Siddhartha Academy of Higher Education (Deemed to be University), Tumkur, Karnataka.

पूर्णिबनर्जी

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Sri Siddhartha Academy of Higher Education (deemed to be University), Tumkur, Karnataka.
3. The Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Karnataka, Secretary Establishment, Higher Education Dept., 2nd Gate, 6th Floor, M.S.Building, Bengaluru, Karnataka.
4. The Secretary, National Medical Commission, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, Phase-1, New Delhi-110077.
5. The Secretary, Indian Nursing Council, 8th Floor, NBCC Center, Plot No. 2, Community Center, Okhla Phase I, New Delhi, Delhi 110020.
6. The Joint Secretary (ME), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
9. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
10. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 1578

(भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर , 2025

अधिसूचना

सं. 10-11/2025-यू.3(ए) - जबकि, श्री सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), तुमकुर, कर्नाटक द्वारा यूजीसी (सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2023 के विनियम 8(7) के अनुसार टी-बेगुर, नेलमंगला तालुक, बैंगलोर ग्रामीण जिला, कर्नाटक में अपने ऑफ-कैंपस सेंटर के लिए कार्योत्तर अनुमोदन की मांग करते हुए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

2. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 29.05.2025 के अपने पत्र संख्या 26-6/2024 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि उसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा यूजीसी विनियम, 2023 के विनियम 8(7) के अनुसार, समविश्वविद्यालय के प्रस्ताव की जांच की गई थी, जिसमें यह प्रावधान है कि आयोग, विशेषज्ञ समिति की सलाह के आधार पर, सरकार को ऐसे किसी भी ऑफ-कैंपस, जो इन विनियमों के लागू होने से पहले मामला-दर-मामला आधार पर संचालित हो रहा था, और उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रत्येक कार्यक्रम की डिग्री को मान्य करने हेतु, यदि वे ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए अपेक्षित बुनियादी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, के अनुमोदन पर विचारार्थ अपना सुझाव देगा।

3. **और आगे, जबकि**, यूजीसी विशेषज्ञ समिति ने प्रस्ताव के समग्र मूल्यांकन के बाद, यह सिफ़ारिश की थी कि श्री सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), तुमकुर, कर्नाटक को टी-बेगुर, नेलमंगला तालुक, बेंगलुरु ग्रामीण जिले में ऑफ-कैंपस चलाने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, यदि वह विशेषज्ञ समिति द्वारा उल्लिखित कमियों को दूर कर लें। विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 23.07.2025 को आयोजित अपनी 592वीं बैठक (मद संख्या 2.15) में विचार किया गया और उन्हें अनुमोदित किया गया।

4. **और जबकि,** मंत्रालय ने दिनांक 23.09.2025 के अपने पत्र संख्या 10-11/2025-यू.3(ए) के माध्यम से संस्थान से विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई कमियों को दूर करने हेतु कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। संस्थान ने दिनांक 23.09.2025 के पत्र के माध्यम से अपेक्षित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए।

5. **अब, इसलिए**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतदद्वारा शैक्षणिक वर्ष 2019-20 जिसे संबंधित सांविधिक

परिषदों के अनुमोदन से शुरू किया गया है, से प्रवेश प्राप्त/उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री को विधिवत रूप से मान्यता प्रदान करते हुए श्री सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), तुमकुर, कर्नाटक को टी-बेगुर, नेलमंगला तालुक, बैंगलोर ग्रामीण जिला, कर्नाटक में ऑफ-कैंपस शुरू करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं तथा समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का श्री सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), तुमकुर, कर्नाटक द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फ़ोन: +9111 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002.

<u>प्रतिलिपि अग्रेषित</u> :

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, श्री सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), तुमकुर, कर्नाटक।
3. प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार, सचिव स्थापना, उच्च शिक्षा विभाग, द्वितीय द्वार, 6वीं मंजिल, एम.एस.बिल्डिंग, बेंगलुरु, कर्नाटक।
4. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली-110077
5. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद, 8वीं मंजिल, एनबीसीसी सेंटर, प्लॉट नंबर 2, सामुदायिक केंद्र, ओखला फेज I, नई दिल्ली, दिल्ली 110020
6. संयुक्त सचिव (एमई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
7. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
9. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस इकाई को निर्देश दें।
10. गार्ड फ़ाइल / अधिसूचना फ़ाइल।

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
फ़ोन: +91 11 2338 1578